न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 7/2024 ई.रे. दिनांक 28.10.2025

मीरा पिता नारायणलाल जणवा निवासी पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी
अर्जुन पिता नारायणलाल जणवा निवासी पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी
– प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायणलाल पिता डालु जणवा निवासी पीण्ड तहसील बडीसादडी
2. उप पंजियक बडीसादडी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री जे.एल. जणवा वकील प्रार्थीगण

–:: आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि – मोजा पीण्ड तहसील बड़ीसादड़ी में खतोनी संख्या नयी 316 स्थित है जिसमें :–

आराजी नम्बर	रकबा
1390	0.4700 हैक्टेयर
1391	0.0200 हैक्टेयर
1392	0.0300 हैक्टेयर
1393	2.3300 हैक्टेयर
1394	0.2300 हैक्टेयर
1395	1.6800 हैक्टेयर
1396	0.1500 हैक्टेयर
1397	0.3500 हैक्टेयर
1722	1.1000 हैक्टेयर
1723	0.0100 हैक्टेयर
339	0.0100 हैक्टेयर
340	0.2600 हैक्टेयर
351	2.0300 हैक्टेयर
637	0.3500 हैक्टेयर
641	0.0900 हैक्टेयर
648	0.1000 हैक्टेयर
649	0.2300 हैक्टेयर
650	0.4200 हैक्टेयर
651	0.0100 हैक्टेयर
652	0.1400 हैक्टेयर
653	0.3700 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:48:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

654	0.5100 हैक्टेयर
655	1.8300 हैक्टेयर
658	0.1400 हैक्टेयर
24	13.8600 हैक्टेयर

स्थित हो कर वर्तमान में विपक्षी न. 1 व अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में स्थित है।
वर्तमान में प्रार्थी का पारिवारीक सजरा निम्नानुसार है
डालुजी मुल कर्ता खानदान हो कर उनके वारीस हरिचन्द भुरीबाई भंवरलाल मांगीलाल देउबाई देवीलाल व नारायण है तथा नारायण के वारीस मीरा व अर्जुन प्रार्थीगण है। आराजीयात प्रार्थी व विपक्षी की पैतृक पुश्तैनी आराजी हो कर उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी के पिता नारायण जी का 1/14 हिस्सा हो कर प्रार्थीगण का हिन्दु उत्तराधिकारी कानुन के तहत उक्त वर्णित नारायण जी के 1/14 हिस्से कि आराजी हिस्सा बनता है तथा नारायण जी के कार्य कलाप पारिवारीक हितो के विरूद्ध हो कर नारायण जी उक्त आराजी का हस्तान्तरण करने पर अमादा है तथा प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक आराजी होने नारायण जी को प्रार्थीगण को उनके हिस्से से मेहरूम करने को कोई अधिकार नही है तथा उक्त आराजी में प्रार्थी मीरा का 1/42 हिस्सा प्रार्थी अर्जुन का 1/42 हिस्सा तथा विपक्षी नारायण का 1/42 हिस्सा होने से उक्तानुसार अपने हिस्से की घोषणा कराने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त कि आराजी से प्रतिवादी का कोई लेना देना नही होते हुए भी तथा कलम न. 2 में दर्ज आराजी अपने नाम होने से का प्रतिवादी नारायण व अन्य नाजायज फायदा लेने के लिये व जमीन के मुल्य बढ जाने से प्रतिवादी प्रत्येक वादीगण के 1/42 – 1/42 हिस्से को नकार कर उसका का व्ययन व खुर्द बुर्द करने पर अमादा है तथा कलम नं. 1 में दर्ज आराजी में प्रार्थीगण के भाग को हडपने के लिये दखल अन्दाजी कर अतिक्रमण करने पर उतारू रहते है जिस कारण प्रार्थीगण विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने की अधिकारी है कि वो उपरोक्त आराजी में प्रार्थीगण के हक हिस्से के भाग में कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करे न करावे रहन बय बक्षीश हस्तान्तरण न करे प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी होने से उनका प्रथम दृष्टया मामला हो कर सुविधा का सन्तुलन व अपुर्वित क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है जिस कारण प्रार्थीगण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने के अधिकारी है कि वो प्रार्थीगण के हक हिस्से के उक्त भाग में कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करे न करावे व उपरोक्त आराजी का रहन बय बक्षीश हस्तान्तरण न करे ना करावे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिती बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये की वे उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के हक हिस्से के भाग के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करे व उपरोक्त आराजी में नारायण के 1/14 हिस्से जिसमें प्रार्थीगण का भी हिस्सा है का रहन बय बक्षीश न करे न करावे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की तथा स्थिती बनाये रखे।

वकील प्रार्थीगण की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी हैं विपक्षी प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:48:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णयः–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 140.2.2024 के अनुसार विपक्षीगण मौजा पिण्ड पटवार हल्का पिण्ड की आराजी नं. 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1722, 1723, 339, 340, 351, 637, 641, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 658 कुल किता 24 रकबा 13.8600 हैक्ट. भूमि में नाराण के 1/14 हिस्से की राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। रहन बय बक्षीश न करे न करावे । इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:48:55 IST
Reason: SelfAttested